रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-73

REGISTERED NO. D. (D)-73

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 2, 1978/भाद्र 11, 1900

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2, 1978/BHADRA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खंड 4

## PART II—Section 4

## रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

## Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

### रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1978

का० नि० आ० 253:—केन्द्रीय सरकार, पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड और सचिव, युद्धसंतप्त तथा निःशक्त सैनिक विशेष राहत निधि द्वारा आवेदन किए जाने पर और उक्त निधि की प्रबन्ध समिति की सहमति से, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, युद्धसंतप्त और निःशक्त सैनिक विशेष राहत निधि के प्रशासन के लिए बनाई गई स्कीम में और जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 60, तारीख 20 फरवरी, 1973 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची 'ख' में दी गई स्कीम में,—

(क) पैरा 2 में, खंड (ग) में मद (i) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(vii) शांतिकाल में हुई ऐसी आकस्मिक दुर्घटनाएं जो मृत्यु और निःशक्तता के फलस्वरूप हुई हों।";

(ख) पैरा 3 में,—

(i) उपपैरा (1) में—

(क) "युद्धसंतप्तों" शब्दों के पश्चात् "शांतिकाल में हुई आकस्मिक दुर्घटनाओं के फलस्वरूप आहतों" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "गृह निर्माण के लिए लिए गए" शब्दों के स्थान पर "अथवा बैंक द्वारा, गृह निर्माण के लिए लिए गए ऋण के ब्याज के संदाय के लिए अथवा स्व-नियोजन के लिए सहायिकी के रूप में ली गई रकम पर ब्याज संदाय करने के लिए जो वस्तुतः संदत्त ब्याज की रकम से 50 प्रतिशत से अधिक न हो शब्द" रखे जाएंगे ;

(ii) उपपैरा (2) में, "ऐसे सैनिकों के कुटुम्बों को जो सक्रिय सेवा में मारे गए हैं" शब्दों के पश्चात्, "अथवा शांतिकाल में ड्यूटी पर मरने वाले आहतों की" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उप-पैरा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरे अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(3) निधि से, निम्नलिखित मदों से सम्बन्धित सामूहिक स्कीमों का वित्तपोषण, ऐसे अनुदानों द्वारा, जो उनके रख-रखाव के व्ययों को पूरा करने के लिए हैं, किया जा सकता है, अर्थात् :—

(क) अधरांगघात-गृह ;

(ख) युद्धसंस्मारक हास्टेल ;

(ग) विधवा-गृहों से संलग्न विधवा प्राशिक्षण-एवं-उत्पादन केन्द्र ;

(4) निधि से सहायता पाने के लिए हिताधिकारियों के विभिन्न प्रवर्गों की पूर्विकताएं निम्न रूप में होंगी :—

(i) युद्ध-संतप्त और युद्ध-निःशक्त सैनिक या उनके आश्रित ;

(ii) युद्ध के समान संक्रियाओं से होने वाले आहत व्यक्ति ;

(iii) शांतिकाल में हुई ऐसी अन्य आकस्मिक दुर्घटनाएं (मृत्यु और निःशक्तता) ।";

(ग) पैरा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7. प्रबन्ध समिति—निधि के प्रबन्ध और प्रशासन के लिए एक प्रबन्ध समिति गठित की जाएगी। इसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

अध्यक्ष —रक्षा मंत्री ।

उपाध्यक्ष —राज्य रक्षा मंत्री ।

सदस्य —(क) सेनाध्यक्ष ;

—(ख) नौसेना अध्यक्ष ;

—(ग) वायुसेना अध्यक्ष ;

—(घ) सचिव, रक्षा मंत्रालय ।

—(ङ) वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय (रक्षा) ;

—(च) अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय ;

—(छ) महानिदेशक, पुनर्वास ;

—(ज) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय (भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास प्रभारी) ;

—(झ) प्रधान मंत्री कार्यालय का विशेष कार्य अधिकारी ;

—(ञ) दो सदस्य, जिनमें से एक महिला होगी, अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

सचिव —सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय ।" ;

(घ) पैरा 18 में, उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) निधि के सभी धन और संपत्तियों के नियमित लेखे रखे जाएंगे जिसकी लेखा-परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेंटों की किसी फर्म या किसी अन्य मान्यताप्राप्त लेखा-परीक्षक द्वारा, जो प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे, की जाएगी ।

[फा० सं० पी सी 105 (एस बी) 6(4)/77/के एस बी/497 यू एस/डी (आर ई एस)]

आर० वी० पाठक, उप सचिव (एन-II)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 18th August, 1978

**S.R.O. 253.**—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890) and on the application made by the Secretary, Kendriya Sainik Board and Secretary of the War Bereaved and Disabled Servicemen Special Relief Fund, and with the concurrence of the Managing Committee of the said Fund, the Central Government hereby makes with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the following amendments in the Scheme settled for the administration of the War Bereaved and Disabled Servicemen Special Relief Fund and published with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence, No. S. R. O. 60, dated the 20th February, 1973, namely :—

In the Scheme set for in Schedule 'B' of the said notification—

(a) in paragraph 2, in clause (c), after item (vi), the following item shall be inserted, namely :—

"(vii) Attributable peace-time casualties, namely, death as well as disability." ;

(b) in paragraph 3,—

(i) in sub-paragraph (1),—

(A) after the words "war bereaved", the words, "to attributable peace-time casualties" shall be inserted ;

(B) for the words "taken for construction of a house" the words "taken from a bank for construction of a house or for self-employment by way of subsidy not exceeding 50 per cent of the amount of interest actually paid" shall be substituted ;

(ii) in sub-paragraph (2), after the words "families of servicemen killed in action", the words "or who die on duty as peace-time casualties" shall be inserted ;

(iii) after sub-paragraph (2), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely :—

"(3) The collective schemes relating to the following items may also be financed from the Fund by giving grants to cover their maintenance expenditure, namely :—

(a) Paraplegic Homes ;

(b) War Memorial Hostels ;

(c) Widows' Training-cum-Production Centres attached to Widows' Homes ;

(4) The priorities for assistance from the Fund for the various categories of beneficiaries shall be as under :—

I. War Bereaved and War Disabled Servicemen or their dependents ;

II. Casualties arising out of war-like operations ;

III. Other attributable peace-time casualties (death an d disability) ;"

(c) for paragraph 7, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"7. **ManagingC ommittee:** For the management and administration of the Fund, a Managing Committee shall be constituted with the following persons, namely:—

Chairman — Raksha Mantri.

Vice-Chairman — Rajya Raksha Mantri.

Member — (a) Chief of the Army Staff;

(b) Chief of the Naval Staff;

(c) Chief of the Air Staff;
(d) Secretary, Ministry of Defence;
(e) Financial Adviser, Min of Fin (Defence);
(f) Addl. Secretary, Ministry of Defence;
(g) Director General Resettlement;
(h) Joint Secretary, Ministry of Defence (In-charge of Resettlement of Ex-servicemen);
(i) O.S.D. Prime Minister's Office;
(j) Two members out of whom one shall be a lady, to be nominated by the Chairman.

Secretary — Secretary, Kendriya Sainik Board, Ministry of Defence.";

(d) in paragraph 18, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"(1) Regular accounts shall be kept of all moneys and properties belonging to the Fund and shall be audited by a firm of Chartered Accountants or any other recognised auditor, as may be appointed by the Managing Committee."

[File No. PC. 105(SB)6(4)/77/KSB/497-US/D(RES)]

R. B. PATHAK, Dy. Secy. (N-II)

नई दिल्ली 19 अगस्त, 1978

का० नि० आ० 254:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, किरकी की सदस्यता में ले० कं० पी० पी० रेवारी के त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है।

[फाईल सं० 19/21/सी/एल एण्ड सी/65/2803/सी डी० (कैंट)]

New Delhi, the 19th August, 1978

**S.R.O. 254.**—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Kirkee by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Lt. Col. P. P. Rewari.

[File No. 19/21/C/L&C/65|2803-C|D(Cantts)]

का० नि० आ० 255:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि ले० कं० बी० एस० रंधावा को आफिसर कमाण्डिग स्टेशन द्वारा ले० कं० पी० पी० रेवारी के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड, किरकी के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है।

[फाइल संख्या 19/21 सी/एल एण्ड सी/65/2803-सी/1/डी (कैंट)]

**S.R.O. 255.**—In pursuance of sub-sectin (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. B. S. Randhawa has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board Kirkee vice Lt. Col. P. P. Rewari who has resigned.

[File No. 19/21/C/L&C/65|2803-CI|D(Cantts)]

का० नि० आ० 256:—छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री एम० एन० तिरुमलया कार्यकारी मजिस्ट्रेट, के त्याग-पत्र को स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड विलिंगटन की सदस्यता में एक रिक्ति हो गई है।

[फाईल सं० 19/28/सी/एल एण्ड सी/65/2812-सी/डी (कैंट)]

**S.R.O. 256.**—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Wellington by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Shri M. N. Thirumaliah Executive Magistrate.

[File No. 19/28/C/L&C/65/2812-C/D(Cantt.)]

का० नि० आ० 257:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि श्री एस० मणिमारन कार्यकारी मजिस्ट्रेट को, उस अधिनियम की धारा 13(3)(ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट नीलगिरि द्वारा, श्री एम० एन० तिरुमलया कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिन्होंने त्यागपत्र दिया है, के स्थान पर छावनी बोर्ड वेलिंगटन के सदस्य के रूप में नाम निर्देशित किया गया है।

[फाईल सं० 19/28/सी/एल एण्ड सी/65/2812-सीI/डी (कैंट)]

**S.R.O. 257.**—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Shri S. Manimaran Executive Magistrate, has been nominated as a member of the Cantonment Board Wellington by the District Magistrate The Nilgiris in exercise of the powers conferred under section 13(3)(b) of that Act vice Shri M. N. Thirumaliah Executive Magistrate resigned.

[File No. 19/28/C/L&C/65/2812-CI/D(Cantts.)]

का० नि० आ० 258:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, लखनऊ की सदस्यता में कं० गुरदीप सिंह विर्क के त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है।

[फाईल सं० 19/1/सी/एल एण्ड सी/78/2804/सी/डी० (कैंट)]

**S.R.O. 258.**—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Lucknow by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Col. Gurdip Singh Wirk.

[File No. 19/1/C/L&C/78/2804-C/D(Cantts.)]

का० नि० आ० 259:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि कं० डी० पी० मेदीरत्ता को आफिसर कमाण्डिग स्टेशन द्वारा कं० गुरदीप सिंह विर्क के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड, लखनऊ के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है।

[फाईल सं० 19/1/सी/एल एण्ड सी/78/2804-सी/I/डी (कैंट)]

प्रदीप भट्टाचार्य, अवर सचिव

**S.R.O. 259.**—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Col. D. P. Mediratta has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board Lucknow vice Col. Gurdip Singh Wirk who has resigned.

[File No. 19/1/C/L&C/78/2804-CI/D(Cantts.)]

P. BHATTACHARYA, Under Sec

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978